दिल्ली विधान सभा
समाचार भाग-2

(विधायी एवं अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
बुधवार, 13 जुलाई, 1994/आषाढ़ 23, 1916 (शक)

संख्या 101

अध्यक्ष द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के अंतर्गत निदेश ।

विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 271 के अनुसरण में अध्यक्ष द्वारा जारी निम्नलिखित निदेश एतद्द्वारा प्रकाशित किए जाते है:

समितियां-सामान्य निदेश

1. ऐसे मामलें में जहां किसी विभाग अथवा उपक्रम को किसी मामले पर समिति के समक्ष साक्ष्य देना हो तो उस विभाग या उपक्रम की ओर से यथास्थिति, उसका सचिव अथवा विभागाध्यक्ष साक्ष्य होगा ।

परन्तु समिति का सभापति निवेदन किये जाने पर किसी अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी को समिति के समक्ष विभाग अथवा उपक्रम का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दे सकेगा ।

2. समिति मंत्रालय अथवा विभाग या उपक्रम से इस बात की मांग कर सकती है कि वे दिल्ली विधान सभा सचिवालय को ऐसे ज्ञापनों की प्रतियां पर्याप्त संख्या में दे जिनमें चर्चाधीन विषय पर उनका विचार हों ताकि वे समिति के सदस्यों को उस तिथि से पहले जिसको मंत्रालय अथवा विभाग या उपक्रम के प्रतिनिधि को समिति के समक्ष साक्ष्य देना हो, परिचालित किया जा सके ।

पी. एन. गुप्ता
सचिव

DELHI VIDHAN SABHA

BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative & other matters)

Wednesday, July 13, 1994/Asadha 23, 1916 (Saka)

No.101

Directions by the Speaker under the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi.

In pursuance of rule 271 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly, the following directions issued by the Speaker, are here published:-

"COMMITTEES - GENERAL DIRECTIONS"

1. Where a Department or Undertaking is required to give evidence before a Committee on any matter, the Department or Undertaking shall be represented by the Secretary or the Head of Department or the Chief Executive of the Undertaking, as the case may be :

Provided that the Chairman of the Committee may, on a request being made to him, permit any other Senior Officer to represent the Department or Undertaking before the Committee.

2. The Committee may require the Ministery, the Department or Undertaking to furnish to the Delhi Assembly Secretariat a sufficient number of copies of any memorandum containing its views on the matter under discussion for circulation to Members of the Committee in advance of the date on which the representative of the Ministry, Department or Undertaking has to give evidence before the Committee.

P.N. GUPTA
SECRETARY